हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 211/160 भूमि की मेखमबंदी की जाती है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः पत्रावली वास्ते बहस हेतु अग्रिम दिनांक 27/06/22 को पेश हो।

27/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने No objection का वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। वकील प्रार्थी ने उक्त आवेदन मे बहस सुनने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर स्थित दस्तावेजो का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः मेखमबंदी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

ऊधाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

स्व आवेदन सं. 19/2020 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

तारा वगैरा बनाम हाजी वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थीगण वकील – सारंगराम मेघवाल

दिनांक – 27.06.2022

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र बीसासर के मौजा जालीला के खेत खसरा संख्या 211/160 रकबा 75.00 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र बीसासर के मौजा जालीला के खेत खसरा संख्या 211/160 रकबा 75.00 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार धनाऊ को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण		विप्रार्थीगण
1. तारा पुत्र आरब 2. चन्दा पुत्र आरब 3. रूघा पुत्र आरब जातियान मेघवाल निवासी जालीला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1. हाजी 2. दावला 3. हनीफ पि. सिद्धिक 4. रामना 5. अली मोहम्मद पुत्र मुबाखां 6. माखन पुत्र सतार खां 7. सुमार पुत्र सतार 8. हाजू पुत्र गुला 9. मुराद 10. नूरा पुत्र इस्माइल 11. पीरा पुत्र वाईखान 12. जादा पुत्र वाईखान जातियान मुसलमान निवासी जालीला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर। 13. श्रीमान तहसीलदार धनाऊ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 19/2020 दिनांक : 27.06.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र बीसासर के मौजा जालीला के खेत खसरा संख्या 211/160 रकबा 75.00 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2022/ 876 - 82 दिनांक 27/06/22

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ।
2. प्रार्थीगण तारा पुत्र आरब वगैरा।
3. विप्रार्थीगण हाजी पुत्र सिद्धिक वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा